

कार्यालय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़।

आदेश क्रमांक 21/50-03 S-I (4) दिनांक, चण्डीगढ़ 29.6.2003

हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम-2003 के नियम 33 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए **Jain Vidya Mandir High School Sonapat** को कक्षा 1 से 10वीं तक को सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय स्थाई मान्यता आदेश क्रमांक 13/34-96 S-I (2) दिनांक, 25.8.99 में निहित शर्तों तथा समय-समय पर की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा। मान्यता वापिस लिए जाने की अवस्था में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भी वापस लिया समझा जाएगा। विद्यालय का कोड़ नं० **EXISTING SCHOOL** है।

आरो बी० लांगायन
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा, हरियाणा,
चण्डीगढ़।

पृष्ठांकन क्रमांक सम दिनांक चण्डीगढ़ 29-6-04

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

है:- **Jain Vidya Mandir High School**

1. प्रबन्ध समिति, Jain Vidya Mandir Sonapat
2. सचिव केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय बोर्ड, नई दिल्ली।
3. सचिव हरियाणा सैकण्डरी शिक्षा बोर्ड, चण्डीगढ़।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, चण्डीगढ़।
5. मास्टर फाईल।

ऑफिसर इन्चार्ज विद्यालय - 1/11
कृते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा, हरियाणा,
चण्डीगढ़।

Principal
Jain Vidya Mandir High School
Sonapat